



क्रमांक / RALVV- 190/अकादमिक/2025

सागर, दिनांक: 22/05/2025

प्रति,

प्राचार्य,  
पं. ब्रजकिशोर पटैरिया कॉलेज ऑफ  
एजुकेशन देवरी, जिला सागर (म.प्र.)  
खण्डेराव वार्ड देवरी

विषय:-

सत्र 2025-26 की अस्थाई सम्बद्धता/निरंतरता के संबंध में।

संदर्भ:-

01.म.प्र. शासन का पत्र क्र.951/1946277/2024/38-3, दिनांक 14/05/2024

02.महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि.वि छतरपुर के पत्र क्रमांक/अकादमिक/निरंतरता/417/2024  
छतरपुर दिनांक 16/01/2024

03.विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता पत्र क./RALVV-445/कु.स./2024 सागर दिनांक 11/11/2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश क्रमांक 01 के बिन्दु क्रमांक 04 के अनुक्रम में तथा सन्दर्भ क्रमांक 2 एवं 3 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों में संबद्धता प्रदान करने के फलस्वरूप महाविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 हेतु किए गए आवेदन एवं संबद्धता शुल्क जमा करने के उपरांत एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004 के आदेश क्रमांक 309/आ.उ.शि./संबद्धता/2025 भोपाल दिनांक 20/05/2025 के अनुसार सत्र 2025-26 हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न शर्तों के आधीन अस्थाई सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम एवं सीट संख्या	रिमांक
01	पं. ब्रजकिशोर पटैरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन देवरी, जिला सागर (म.प्र.) खण्डेराव वार्ड देवरी	बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम	संबद्धता/निरंतरता

नोट- यह संबद्धता महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा के अधीन होगी।  
शर्त:-

01. महाविद्यालय को परिनियम 27 एवं 28 में वर्णित प्रवधानों का पालन करना होगा एवं यूजी.सी. के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ की पूर्ति करना होगा। अशा.महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं समस्त नियम यथावत लागू होंगे।
02. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेंडर का पालन करना अनिवार्य होगा।
03. राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन करना होगा। समन्वय समिति की 100 वी. बैठक के निर्णयानुसार सत्र 2023-24 से निर्धारित की गयी सम्बद्धता एवं निरंतरता शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा।
04. किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय  
सागर (म.प्र.)

सागर, दिनांक: 22/05/2025

क्रमांक / RALVV- 191 /अकादमिक/2025

प्रतिलिपि :-

01. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र।
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर संभाग सागर म.प्र।
03. निज सहायक कुलगुरु, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर म.प्र।
04. निज सहायक कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर म.प्र।
05. प्राचार्य, पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर म.प्र।
06. मूल नस्ती हेतु।

सहायक कुलसचिव,  
रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय  
सागर (म.प्र.)